न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील जीसीएमएस संख्या 2021/269

1. हरीदास मंहत पुत्र श्री मांगूदास, निवासी मांगूदास बगीचा, थाना बानसूर जिला अलवर।

--अपीलार्थी

बनाम

1. जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अलवर।

--रेस्पोडेन्ट

अपील अंतर्गत धारा 18 आर्म्स एक्ट 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 16.4.2008 विरूद्ध निर्णय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अलवर।

उपस्थित--

1. श्री हरिप्रसाद जांगिड वकील अपीलान्ट।
2. राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 की ओर से।

निर्णय

दिनांक--23.09.2025

1. यह अपील आर्म्स अधिनियम 1959 के अन्तर्गत जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अलवर के निर्णय दिनांक 16.4.2008 के खिलाफ मियाद अधिनियम की धारा--5 के साथ प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है कि यह कि अपीलांट श्री हरीदास मंहत पुत्र श्री मांगूदास, निवासी मांगूदास बगीचा, थाना बानसूर जिला अलवर द्वारा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अलवर के समक्ष लाइसेंस नवीनीकरण के संबंध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अलवर द्वारा अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने के आदेश दिनांक 16.4.2008 को दिये गये।

3. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अलवर के उक्त निर्णय दिनांक 16.4.2008 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अलवर दिनांक 16.4.2008 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान मुख्य रूप से अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अपीलार्थी को जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अलवर द्वारा शस्त्र लाईसेन्स संख्या 174/रिवा/2000 थाना बानसूर पु. 21 --1/5/शस्त्र/2000 जारी किया गया था जो 32 बोर रिवाल्वर के संबंध में था । उक्त लाईसेन्स 28.12.2007 तक वैद्य था।

अपीलार्थी द्वारा उक्त शस्त्र लाईसेन्स का कभी भी दुरूपयोग नहीं किया गया तथा सभी शर्तो की भली भांति पालना की जाती रही है। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 24.1.2008 को शस्त्र लाईसेन्स के नवीनीकरण हेतु एक प्रार्थना पत्र जिला कलेक्टर के यहां प्रस्तुत किया गया तथा यह प्रार्थना पत्र अवधि दिनांक 29.12.2007 से 28.12.2010 तक के लिये था । यह कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण को पुलिस अधीक्षक अलवर को वास्ते जांच हेतु भेजा गया तथा पत्रावली के अनुसार पुलिस अधीक्षक, अलवर द्वारा अपने पत्र संख्या 5906 दिनांक 18.3.2008 द्वारा जिला कलेक्टर को यह सूचित किया गया कि अपीलार्थी के विरूद्ध एक प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 5/2006 थाना शिवाजीपार्क, अलवर बाबत अपराध अंतर्गत धारा 273 भारतीय दंड संहिता दर्ज होकर जेत तजबीज अदालत है इस लिए लाईसेन्स नवीनीकरण नहीं करने की सिफारीश की गई। पुलिस अधीक्षक, अलवर की उक्त रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण में नवीनीकरण प्रार्थना पत्र जिला कलेक्टर अलवर द्वारा पूर्व प्रिंटेड पत्र/आदेश में खाली जगहों को भरकर पत्र/आदेश दिनांक 16.4.2008 हस्ताक्षरित कर खारिज कर दिया गया। चूंकि अपीलार्थी के विरूद्ध फोजदारी केस जेर तजबीज न्यायालय है इसलिए अपीलार्थी का शस्त्र लाईसेन्स नवीनीकरण प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है । चूंकि दिनांक 16.4.2008 को जो पत्र/आदेश हस्ताक्षरित किया गया उस समय फौजदारी प्रकरण बाबत् वाहन दुर्घटना लंबित था परंतु यह फौजदारी प्रकरण अंतिम रूप से दिनांक 31.5.2012 को न्यायालय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 2 अलवर द्वारा प्रकरण संख्या 73/2007 सरकार बनाम हरीदास के रूप में अंतिम रूप से निस्तारित कर दिया जिसमें अपीलार्थी को साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्त कर दिया गया। यह कि अपीलार्थी को उपरोक्त निर्णय दिनांक 31.05.2012 की कोई जानकारी नहीं थी उसे इसकी जानकारी दिनांक 12.7.2021 को होने पर उसके द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपि का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया तथा दिनांक 16.7.2021 को उसकी प्रति प्राप्त की गई। अपीलार्थी को विधिक राय यह मिली की अपील की म्याद 90 दिन है। अपीलार्थी उसके पश्चात जयपुर अपील वास्ते अपने वकील साहब से मिला तो उनके द्वारा बताया गया कि अपील की म्याद 30 दिन होती है। जिसके लिये अपीलार्थी ने अपील के साथ एक अन्य प्रार्थना पत्र बाबत माफ किये जाने देरी प्रस्तुत किया है। अधिनियम की धारा 17 उपधारा 7 के अनुसार अपीलार्थी लाईसेन्स नवीनीकरण का हकदार है क्योंकि उसे साक्ष्य के अभाव में फौजदारी प्रकरण में बरी किया जा चुका है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 1455/2011 व 1716/2013 में निर्णय पारित कर यह अभिनिर्धारित किया गया है कि फौजदारी प्रकरण जो सुक्षम प्रकार के है उनके आधार पर नवीनीकरण मना नहीं किया जा सकता। अपीलार्थी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत कोई फौजदारी प्रकरण पंजीबद्ध नहीं हुआ है। अतः विवादित आदेश कानून सम्मत न होने से काबिले निरस्तनीय है।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

6. राजकीय अधिवक्ता ने अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत् ही अपीलांट का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किये जाने के आदेश दिनांक 16.4.2008 को दिये गये। जो कि उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. हमने प्रकरण का अवलोकन किया एवं प्रकरण के तथ्यों एवं दस्तावेजी साक्ष्यों पर विचार किया। पत्रावली का अवलोकन करने से जाहिर होता है कि प्रथमतः अपीलांट द्वारा अपील अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.4.2008 के बाद दिनांक 29.9.2021 को लगभग 13 वर्षो की देरी से प्रस्तुत की गई है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में इतनी लम्बी अवधी की देरी को माफ किये जाने बाबत् कोई ठोस कारण भी प्रस्तुत नही किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम की धारा–5 खारिज की जाती है। द्वितियतः आवेदक का लगभग 13 वर्षो से शस्त्र जमा है तथा आवेदक द्वारा ऐसा कोई तथ्य या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे आर्म्स एक्ट/नियम में जीवन रक्षा हेतु शस्त्र की आवश्यकता साबित होती हो। ऐसी स्थिति में अपील खारिज किया जाना उचित समझते हैं।

अतः आदेश है कि: उपर्युक्त विवेचना के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अलवर का आदेश क्रमांकः प.21–12(94) शस्त्र/2008/5031 दिनांक 16.4.2008 यथावत रखा जाता है।

(पूनम)
संभागीय आयुक्त
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 23.09.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त
जयपुर।